



अनुबंध 2

निविदा प्रपत्र (अनिवासी भारतीय के लिए)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक

_____ (कार्यालय का नाम)

महोदय

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को स्वीकार करने के लिए आवेदन

कृपया मेरे बैंक खाते में जमा हेतु विवरण के अनुसार एसबीएन को स्वीकार करें, जो मैं 10 नवम्बर से 30 दिसम्बर 2016 के दौरान किसी भी बैंक शाखा/डाक घर में विनिमय/जमा करने में असमर्थ था क्योंकि इस दौरान मैं विदेश में था और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण संलग्न कर रहा हूँ।

2 मेरा व्यक्तिगत विवरण निम्नानुसार है :

नाम	भारत में डाक पता	निवास के देश में डाक पता	संपर्क हेतु फोन नंबर	भारत में संपर्क हेतु फोन नंबर, यदि हो	मेल आईडी	पहचान के सबूत का विवरण - दस्तावेज़ प्रकार तथा संख्या

आधार संख्या :

पैन :

3क. बैंक खाते का विवरण, जिसमें स्वीकार्य राशि को जमा करने का अनुरोध किया है :

खाता धारक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार	बैंक का नाम	शाखा का नाम और पता	आईएफएससी कोड

3ख. भारत में अन्य बैंक खातों का विवरण :

खाता धारक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार	बैंक का नाम	शाखा का नाम और पता	आईएफएससी कोड

4. दिया हुआ एसबीएन का विवरण :

	500 रुपए (पीसेस की संख्या)	1000 रुपए (पीसेस की संख्या)	कुल पीसेस की संख्या	कुल मूल्य
एसबीएन				

5. घोषणा :

- i. मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने 10 नवम्बर से 30 दिसम्बर 2016 के दौरान पूर्व सुविधा के अंतर्गत एसबीएन को जमा / विनिमय की सुविधा का उपयोग नहीं किया था।
- ii. मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए एसबीएन, जांच के अधीन होगा और यदि कोई भी जाली नोट और / अथवा मेरे द्वारा दिया हुआ दोषपूर्ण / बनाया हुआ नोट का पता चलता है तो उसका मूल्य नहीं दिया जाएगा।
- iii. मेरे द्वारा दिए गए नोटों में से यदि जाली नोट/नोटों का पता चलता है तो देश के मौजूदा कानून के अनुसार मामला पुलिस को रिपोर्ट किया जा सकता है।
- iv. स्वीकार्य राशि का मूल्य मेरे खाते में इस शर्त के साथ जमा किया जाएगा कि खाते में पूर्ण रूप से केवाईसी मानदंड को पूरा किया गया है।
- v. मैं इस सुविधा का लाभ केवल एक बार ही उठा रहा हूँ और इस तरह की सुविधा इस या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी अन्य कार्यालय से उपलब्ध नहीं होगी।
- vi. यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत खाते का विवरण सही नहीं है और / अथवा खाता पूर्ण रूप से केवाईसी मानदंड को पूरा नहीं किया है तो भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार नहीं है।
- vii. मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ / घोषणा वास्तविक हैं और यदि उपरोक्त प्रस्तुतियाँ गलत पाई जाती हैं तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(नाम)

दिनांक :

अनु :

- i. नवम्बर 9 से दिसम्बर 30, 2016 के दौरान विदेश में होने का समर्थन के लिए दस्तावेजी सबूत।
- ii. भारतीय अप्रवासन प्राधिकरण के स्टाम्प के साथ पासपोर्ट के पृष्ठों की प्रति
- iii. लाल चैनल के माध्यम से आगमन पर भारतीय कस्टम द्वारा एसबीएन के आयात करने के लिए प्रमाण पत्र का सबूत
- iv. पैन कार्ड अथवा फॉर्म 60 की प्रति
- v. भारत में बैंक खाते के विवरण की प्रतियाँ